SHRI JIBON ROY: The factory should not be closed. *(Interruptions)* want that assurance. *(Interruptions)*

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा: जो उन्होंने मांगा ...(व्यवधान)

श्री जीवन राय: जो कुछ ब्यूरोक्रेसी, सरकार और कम्पनी में हुआ आप उसको वेलकम कर रहे हैं। लेकिन अभी तो आप बोल दीजिए कि इस तरह से फैक्टरी बंद नहीं होंगी।

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा: हाई कोर्ट ने जो जवाब हमसे मांगा है हमने उनको यह कह दिया है कि हम इंस्टालमेंट में ले लेंगे। तो हम बंद कैसे करेंगे, क्यों करेंगे?

श्री जीवन राय: फैक्टरी टेक ओवर कर लीजिए।

MR. CHAIRMAN: Question No. 123.

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शिक्षकों/कर्मचारियों का प्रशासनिक उत्पीड़न

*123. **श्री आर० एन० आर्य[$]:**
श्री डी० पी० यादव:

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों के शिक्षकों/कर्मचारियों के साथ प्रशासनिक उत्पीड़न की शिकायतें सरकार/मंत्रालय संगठन को प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो जयपुर संभाग सहित ऐसे विद्यालयों के संबंध में गत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त शिकायतों का संभाग-वार, श्रेणी-वार, विद्यालय-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक मामले में आरोपियों के विरुद्ध संगठन/सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो उसका औचित्य क्या है; और

(घ) इनमें से प्रत्येक मामले में क्या-क्या कदम उठाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

$. सभा में यह प्रश्न श्री आर० एन० आर्य द्वारा पूछा गया।

विवरण

(क) से (घ) कुछ शिक्षकों/कर्मचारियों के सम्बन्ध में यदा कदा यह आरोप लगाते हुए शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि उन्हें उत्पीड़ित किया जा रहा था। गत तीन वर्षों में प्राप्त ऐसी शिकायतों का ब्यौरा, जिनमें यह कहा गया है कि शिकायत कर्ता अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के है, संलग्न है। [देखिए परिशिष्ट 195, अनुपत्र संख्या 14 (मूल संस्करण)] ऐसे सभी मामलों में जांच की गई है और जांच के निष्कर्षों के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई की गई है।

Administrative Exploitation of KVS Teachers/Employees

†123. SHRI R.N. ARYA[S]:
SHRI D.P. YADAV:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether complaints of administrative exploitation of teachers/employees belonging of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes in Kendriya Vidyalaya Sangathan have been received by the Government/Ministry/Organisation;

(b) if so, the division-wise, category-wise, vidyalaya-wise details of complaints received during the last three years, including the Jaipur Division;

(c) the details of action taken by Sangathan/Government against the accused persons in each case; if not, the justification thereof; and

(d) the steps likely to be taken in each of these matters, separately?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT, MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF OCEAN DEVELOPMENT (DR. MURLI MANOHAR JOSHI): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the Sabha.

(a) to (d) Complaints in respect of some teachers/employees have at times been received alleging that they were being harassed. The

† Original notice of the Question was received in Hindi.

S. The question was actually asked on the floor of the House by Shri R.N. Arya.

details of complaints wherein it has been stated that the complainants belonged to SC, ST or OBC categories, received in the last three years are annexed. [*See* Appendix 195, Annexure No. 14]. In all such cases the matter has been enquired into and suitable action taken as per findings of the inquiries.

श्री आर० एन० आर्य: माननीय मानव संसाधन मंत्री जी के क्षेत्र में अमानवीय और भेदभावपूर्ण तरीके से दलित कर्मचारियों के साथ भीषण अन्याय हुआ है। 22 स्कूलों की जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है जिसमें दलित लोगों के उत्पीड़न और शिकायतों के लिए उन्होंने कहा था कि हमारे साथ अन्याय हुआ है और हमारी शिकायतें सही हैं। लेकिन यह शिकायतें इस उत्तर में बेसलैस और फाल्स बताई गई हैं। उन शिकायतों से संबंधित राज्य सभा के स्टार प्रश्न संख्या-24 दिनांक 1-3-2002 के उत्तर में आरोपों को गंभीर माना गया है। राज्य सभा के प्रश्न संख्या 467 दिनांक 24-8-2001 में भी इन आरोपों को गंभीर मानते हुए यह कहा गया कि प्रोसस लेप्स हुआ है और फाइनेंसियल तथा एकाडमिक इर्रेग्युलेरिटीज हुई है। फाइनेंसियल और इर्रेग्युलेरिटीज में यू०टी०आई० का घोटाला हुआ है उसी में पैट्रोल पम्प के एलौटमेंट हुए हैं। वह सब तो इर्रेग्युलेरिटीज हैं लेकिन यह फाइनेंसियल इर्रेग्युलेरिटीज, एकाडमिक इर्रेग्युलेरिटीज हुई हैं तो उसमें लिखते हैं वह दंडनीय नहीं है। नसीराबाद के प्रधानाचार्य के खिलाफ कर्मचारियों ने शिकायत की कि यहां एक हजार रुपए से ऊपर जो भी सौदा खरीदा जाएगा उसमें ओपन टेंडर होगा। लेकिन वहां लाखों का सौदा खरीदा गया और शिकायत हुई कि यहां ओपन टेंडर नहीं हुआ। परन्तु इसी शिकायत की वजह से कर्मचारियों को दंडित किया गया। लेकिन मध्य प्रदेश में नयागांव के जो शैडयूल्ड कास्ट प्रधानाचार्य हैं उसकी 50 हजार की खरीद पर भी दंडित किया गया, रिवर्ट कर दिया गया। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस प्रकार से भेदभावपूर्ण व्यवहार क्यों किया जा रहा है? इसी प्रकार से मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जिन कर्मचारियों ने इन मामलों की शिकायतें की उनको दंडित किया गया और जिन पर आरोप सिद्ध हुए हैं उनको छोड़ दिया गया। इतना ही नहीं लोक सभा के प्रश्न संख्या 4313 दिनांक 18-12-2001 तथा प्रश्न संख्या 244 दिनांक 1-3-2000 के द्वारा भी मामला उठाया गया और जिन कर्मचारियों को स्थानांतरित किया गया उनको टी०ए०, डी०ए० स्वीकार किया गया लेकिन जब उन्होंने टी०ए०, डी०ए० मांगा तो उनको मना कर दिया गया। तो मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है? धन्यवाद।

डा० मुरली मनोहर जोशी: सभापति जी, हमारे केन्द्रीय विद्यालयों में कुल अध्यापकों की संख्या 45191 है जिनमें से 40559 विभिन्न स्थानों पर काम कर रहे हैं। इनमें ओबीसी की संख्या 3997 है, जिनमें से केवल चार लोगों ने शिकायत की है। लगभग चार हजार में से केवल चार

लोगों ने शिकायतें की हैं इसलिए उनके आधार पर यह नहीं कहना चाहिए कि किसी को दंडित किया जा रहा है या व्यापक पैमाने पर कुछ किया जा रहा है। इसी तरह से परिगणित जाति के लोगों की संख्या 6716 है और उनमें से 26 लोगों ने अपनी शिकायतें दी हैं। उनमें से भी अधिकांश एससी/एसटी, जो उनका आयोग है, उसने रेफर की हैं। वहां से हमारे पास शिकायतें आई हैं और उनकी भी जांच हुई है। परिगणित जनजाति के केवल 1430 अध्यापक हैं और उनमें से केवल दो अध्यापकों ने शिकायतें की हैं और उनकी भी बराबर जांच की गई है। यह कहना ठीक नहीं है कि सारे प्रधानाचार्य अन्य जाति के थे इसलिए उन्होंने इनको दंडित कर दिया है और शिकायतें कर दी हैं। इनमें से पांच-छह प्रधानाचार्य ओबीसी, शैडयूल्ड कास्ट के भी हैं। इन कर्मचारियों के विरुद्ध जो कुछ शिकायतें थीं, उनको भी हमने देखा है और वे गलत पायी गयीं हैं। नियम यह होता है कि जब भी कोई शिकायत आती है, जब तक वह शिकायत रहती है तो उसके आरोपों को गम्भीर माना जाता है। अगर किसी ने यह कहा कि साहब इस प्रधानाचार्य ने एक वित्तीय अनियमितता की है तो यह गंभीर आरोप है। लेकिन जब जांच में यह पाया गया कि यह आरोप गंभीर नहीं है तो हम यह कहेंगे कि यह आरोप गंभीर नहीं है। जब तक कोई मामला जांच की स्थिति में रहता है तब तक उसकी गंभीरता बनी रहती है। जांच के पश्चात् यह निर्णय होता है कि वह गंभीर है या नहीं है। लेकिन इनमें से किसी भी अध्यापक ने, जब जांच का परिणाम निकल आया उसके खिलाफ कोई अपील हमारे पास नहीं की है। अगर कोई अपील हमारे पास इस बारे में आती है तो हम उस पर भी सुनवाई करते हैं। हमारे विभाग की और विशेषकर केन्द्रीय विद्यालय की यह स्पष्ट नीति है कि इस प्रकार का कोई उत्पीड़न हम नहीं होने देंगे और न इस प्रकार की कोई शिकायत है। होता यह है कि कोई एकाध प्रधानाचार्य, जो अधिक प्रखर होता है, लोगों से संबंधित रहता है वह लोगों के पास जाता है और अध्यापक भी इसी प्रकार से सब के पास आते हैं। फाइलें आकर देखी जा सकती हैं। हम इसको बताने के लिए तैयार हैं कि क्या जांच हुई है। इसमें किसी चीज को छिपाने का सवाल ही नहीं है और किसी को बेवजह दंडित करने का सवाल ही नहीं है। अगर कोई सम्मानीय सदस्य मुझे यह बतायेंगे कि किसी परिगणित जाति, जन जाति या पिछड़े वर्ग के प्रति इस कारण से अन्याय हुआ है और उसका स्पष्ट प्रमाण देंगे तो हम निश्चित रूप से उस पर कार्यवाही करेंगे और यदि ऐसा सिद्ध हुआ तो उस जांच अधिकारी के विरुद्ध भी कार्यवाही करेंगे। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सब बातें निराधार हैं।

श्री आर० एन० आर्य: सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी मानव संसाधन मंत्री हैं। आप इसको हेरफेर करके न देखें। अगर हजार में से एक आदमी के साथ भी अन्याय हुआ, यह कितने परसेंट में हुआ, यह मैं आपसे नहीं जानना चाहता हूं। एक के साथ भी अन्याय हुआ, मानवीय अन्याय हुआ तो उसकी आनुपातिक गणना नहीं होनी चाहिए। मैंने बुलन्दशहर के

विद्यालय की शिकायत की। वहां के एक चपरासी को प्रधानाचार्य ने जूतों से मारा, जब शैड्यूल्ड कास्ट के अध्यापकों ने उसे बचाया तो उनका वहां से ट्रांसफर नार्थ-ईस्ट में कर दिया गया। किसी का ट्रांसफर आइजोल कर दिया और किसी का लेह कर दिया गया। उन लोगों को ट्रांसफर के कारण बहुत परेशानी हुई। उन लोगों की शिकायतों को भी सुना नहीं गया इसलिए वे लोग हाई कोर्ट में गए। इसके अलावा मैंने मथुरा, नसीराबाद और कुछ कैंट्स की शिकायतें कीं। लेकिन शिकायतों के आधार पर उन लोगों का ट्रांसफर कर दिया गया। उनको जो लेटर दिया गया, उसमें लिख दिया गया, "Transfer is not a punishment". आप सोचें कि जिनकी इतनी कम सैलरी हो, उनको तीन स्टेट से बाहर भेज दिया जाए। जिन महिलाओं को नागालैंड में भेजा गया, वे ट्रांसफर न करने के लिए कहती रहीं लेकिन उनकी कहीं सुनवाई नहीं हुई। आप कहते हैं कि उनकी सुनवाई हुई है। मेरे पास पूरे रिकार्ड हैं, मैं उन्हें आपको प्रस्तुत कर सकता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इन पिछड़े, दलित लोगों की सुनवाई करेंगे। कैंट का आर्डर हमारे पास है। कैंट ने कहा कि उनका स्थानांतरण रद्द कर दो, उनको सैलरी दे दो पर सैलरी की डिमांड करने पर उनको टरमिनेशन नोटिस दे दिया गया। जिन्होंने ट्रांसफर ऐक्सैप्ट कर लिया, उनको टी०ए०, डी०ए० नहीं दिया गया और उनको भी टरमिनेशन नोटिस दे दिया गया। उनसे कहा गया कि अगर वेतन मांगेंगे तो हम दे देंगे लेकिन प्राचार्य उनसे ऐप्लीकेशन नहीं ले रहा है। इन सब बातों को कौन सुनेगा? हम यह नहीं जानना चाहते हैं कि हजारों में से केवल एक शिकायत है। हम यह कहना चाहते हैं कि अगर एक भी शिकायत ऐसी है तो वह अमानवीय है। मथुरा में बंद करके मारा गया लेकिन कोई शिकायत नहीं हुई। लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं तो उनको आने नहीं दिया जाता। मैं यह कहना चाहता हूं कि उनकी इन्क्वायरी सही नहीं की गयी है, उनकी सही इन्क्वायरी की जाए। मैं आपको तथ्य प्रस्तुत कर सकता हूं। जिन लोगों को, जिन बैकवर्ड क्लास के लोगों को टरमिनेट किया गया है, सहानुभूतिपूर्वक उनको तथा उनके परिवारों को बचाया जाए। उन्हें पूरा भरोसा है कि आप ऐसा करेंगे।

डा० मुरली मनोहर जोशी: सभापति महोदय, कई बार विद्यालय इसलिए बंद होते हैं क्योंकि वह किसी प्रोजैक्ट के अंतर्गत होते हैं और जब वह प्रोजैक्ट बंद होने लगता है तो वह विद्यालय बंद हो जाते हैं। कई बार वह प्रोजैक्ट जिस कम्पनी से चलता है, वह कम्पनी घाटे में चली जाती है और वह उनको तनख्वाह नहीं देती है। इसलिए जिन टर्म्स एंड कंडीशंस पर वह नियुक्त होते हैं, इनकी बात उसी तरह से होती है। उसमें ऐसा नहीं है कि किसी परिगणित जाति या पिछड़ी जाति वाले को निकाला गया है। उसमें जो भी उस विकल्प के अध्यापक होते हैं, उन सबको निकाल दिया जाता है, उन सभी को वेतन नहीं मिलता है। ऐसे केसिज़ मेरे सामने हैं जिनको चार-चार, छः-छः महीने से तनख्वाह इसलिए नहीं दी गयी है क्योंकि उस प्रकल्प की तरफ से, उस कम्पनी की तरफ से—जैसे बी०सी०सी०एल० एक कम्पनी है—पैसा नहीं आ रहा। उसकी शर्त

ही यह है। इसलिए यह कहना गलत होगा कि इस कारण से उनको पैसा नहीं दिया जा रहा है क्योंकि वह किसी विशेष जाति से हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, सम्मानित सदस्य ने मेरे पास इस संबंध में कोई जानकारी मुझे नहीं दी है। मैं इस संबंध में विभाग से भी मालूम कर लूंगा। अगर उन्होंने स्पष्ट रूप से किसी का उल्लेख किया हो कि उसके साथ ज्यादती हुई है, तो उसकी भी हम जांच कर लेंगे लेकिन मैं बार-बार यह कहना चाहता हूं कि इस धारणा को मन से निकाल दिया जाना चाहिए और यह प्रचार बंद किया जाना चाहिए कि किसी जाति विशेष के साथ कुछ किया जा रहा है। हम इसमें निष्पक्ष रूप से जांच करते हैं। अगर मामला कैट में जाएगा तो कैट के आदेश का पालन तो होगा ही। अगर कैट के आदेश के खिलाफ कोई कानूनी बात होगी तो विभाग उसके विरुद्ध वहां अपील में भी जाएगा, जहां जा सकता है। कानूनी प्रक्रिया जहां चल सकती है, उस कानूनी प्रक्रिया में हम बाधा नहीं डालेंगे। वह तो अपने अंत तक जाएगी।

श्री आर० एन० आर्य: माननीय मंत्री जी.....

MR. CHAIRMAN: Nothing more. आप पहले ही दो सवाल पूछ चुके हैं।

डा० मुरली मनोहर जोशी: यह बहुत स्पष्ट बात है। मैंने कहा है कि तथ्यों के साथ मेरे सामने अगर कोई ऐसे केसिज़ आएंगे, ऐसे मामले आएंगे जिनमें सम्मानित सदस्य प्रमाण प्रस्तुत करते हुए हमें बताएंगे कि यहां यह बात की गयी है जो गैर कानूनी है या जान-बूझकर उस जांच अधिकारी ने ऐसा किया है तो हम उन मामलों की निष्पक्ष रूप से समीक्षा करेंगे लेकिन ऐसी कोई शिकायत मेरे पास आयी ही नहीं तो हम उस संबंध में क्या कर सकते हैं?

श्री डी० पी० यादव: सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहूंगा कि अभी उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता सिर्फ चार हैं। महोदय, शिकायतकर्ता बेशक एक भी हो, उसकी जांच निष्पक्ष रूप से होनी चाहिए। यह मामला केन्द्रीय विद्यालय संगठन से ताल्लुक रखता है और इस मामले के जांचकर्त्ता जिनको बनाया गया है, वह सहायक आयुक्त, जयपुर सम्भाग के अधिकारी हैं। सहायक आयुक्त, जयपुर के अधिकारी जो स्वयं आरोपित हैं, उनको इस मामले का जांचकर्ता बना दिया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जिस अधिकारी के ऊपर आरोप लगा हुआ हो, क्या उस अधिकारी को जांचकर्ता बनाया जा सकता है? माननीय मंत्री जी से स्पष्ट तौर पर यह जवाब भी चाहूंगा कि पिछले सत्र के दौरान उन्होंने यह माना था कि प्राचार्य और अधिकारी इस मामले में दोषी पाए गये हैं और अभी उन्होंने यह लिखकर दे दिया कि प्राचार्य के विरुद्ध जो शिकायत है, वह निराधार है। मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी के जो दो कथन हैं, उनमें से कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य? दूसरा मैं उनसे यह भी जानना चाहूंगा कि क्या उस अधिकारी को, उस प्राचार्य को जिनके खिलाफ जांच हो रही है,

उनके पदों से अलग हटाकर यह जांच की जाएगी क्योंकि जिन्होंने शिकायत की, उनका तो स्थानांतरण कर दिया गया। मान लिया कि यह विभाग का अधिकार है और स्थानांतरण किया जा सकता है लेकिन विभाग का यह अधिकार इसलिए निराधार बनता है क्योंकि विभागीय स्थानांतरण जब होता है तो विभाग उस स्थानांतरित अधिकारी को टी०ए०, डी०ए० देकर दूसरी जगह भेजता है। इस मामले में पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो लोग थे उन्हें डी०ए० / टी०ए० नहीं दिया गया। जब उन्होंने फिर से इसकी शिकायत की और मांग की तो उन्हें टर्मिनेट नोटिस दिया गया और नौकरी से निकालने की धमकी देकर कह दिया गया कि तुम्हें चुप रहना है, आगे कुछ नहीं कहना है। इन दो सवालों पर मैं इनका उल्लेख जानना चाहूंगा, इसे स्पष्ट करें।

डा० मुरली मनोहर जोशी: सभापति जी, नसीराबाद के संबध में जो जिक्र किया गया है वहां से हमारे पास चार शिकायतें ऐसी आईं जो अखिल भारतीय ओ०बी०सी० छात्र फोरम दिल्ली द्वारा दी गई थीं। उसमें यह शिकायत थी कि प्रधानाचार्य द्वारा श्री ए० के० यादव, टी०जी०टी० विज्ञान का कई प्रकार से उत्पीड़न किया गया। इसमें किसी जांचकर्ता अधिकारी के विरुद्ध आरोप नहीं है। जांच प्रधानाचार्य ने नहीं की है बल्कि जांच केन्द्रीय विद्यालय संगठन क्षेत्रीय कार्यालय के व्यक्ति ने की है, वहां के किसी अधिकारी ने जांच की है और उन्होंने यह पाया कि उस शिकायत में कोई वजन नहीं है इसलिए यह शिकायत निराधार है। उसके बाद दूसरी शिकायत भी उसी संस्था ने दी थी और वह शिकायत थी कि प्रधानाचार्य द्वारा श्रीमती सुदेश सिंह, टी०जी०टी० विज्ञान को यह कहकर उत्पीड़ित किया गया कि उनका कार्य निष्पादन ठीक नहीं है। अगर कार्य निष्पादन ठीक न होने पर कोई मेमो दिया जाए, कोई अध्यापक ठीक से न पढ़ाए, कक्षा में न जाए तो इसे उत्पीड़न नहीं कहा जा सकता है। केवल इसलिए कि वे श्रीमती सुदेश सिंह हैं और उन्हें किसी प्रधानाचार्य, जो दूसरी जाति का है, ने मेमो दे दिया तो यह कोई जातीय उत्पीड़न नहीं है। यह हमारी नीति है कि कक्षाओं में पढ़ाई ठीक से हो और मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कोई भी अध्यापक, चाहे वह केन्द्रीय विद्यालय के किसी भी स्तर पर हो अगर ठीक से नहीं पढ़ा रहा है तो हम उस पर कार्यवाही करेंगे। इस आधार पर कि कोई व्यक्ति दूसरी जाति का है इसलिए उसे यह कहने का कोई अधिकार नहीं है कि क्योंकि तुम दूसरी जाति के अध्यापक हो इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे पढ़ाने के बारे में, तुम्हारी कार्य प्रणाली के बारे में कोई आदेश नहीं दे सकता, तो मैं समझता हूं कि इस सिद्धांत पर कोई संगठन नहीं चल सकता, कोई शिक्षा नहीं चल सकती।

इसी तरह से एक और शिकायत आई जिसमें कहा गया प्रधानाचार्य द्वारा श्री आर० जी० सेन शिक्षक का उत्पीड़न। उसकी भी जांच की गई है। ये चारों एक साथ हैं और इन चारों की

शिकायतों का एक ही आधार है। मैं समझता हूं कि सम्माननीय सदस्य इसे इस आधार पर न लें बल्कि वे चाहें तो इस संबंध में हमारे संगठन से मिल सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या आरोप थे और किस ढंग से उनकी जांच हुई है। इसके बावजूद भी अगर यह प्रमाणित होता है कि यहां पर किसी जांच अधिकारी ने किसी प्रकार का कोई जातीय पक्ष लिया है तो हमारे पास लाएं हम निश्चित रूप से उसे देखेंगे और आवश्यक कार्रवाई करेंगे लेकिन केवल इस आधार पर कि कोई अध्यापक आकर कुछ भी कह दे उससे यह नहीं मान लेना चाहिए कि वहां कोई जातीय अपराध हुआ है। अगर ऐसा होता तो जैसा कि मैंने बताया कि एक ही विशिष्ट जाति के चार-चार, छह-छह अध्यापक हैं और उनमें से केवल दो-चार लोगों ने शिकायत की है। ये जो चार ओ०बी०सी० अध्यापक हैं, ये एक ही विद्यालय के हैं। पांच ओ०बी०सी० आए हैं जिनमें से चार एक ही विद्यालय के हैं। जब अध्यापकों के गुट बन जाते हैं तो इन गुटों के कारण छात्रों की पढ़ाई की बहुत हानि होती है। हमारे पास अनेक मामलों में उनके माता-पिताओं के पत्र आते हैं, शिकायतें आती हैं और उस पर वहां की प्रबंध समिति विचार करके सिफारिश करती है कि इन लोगों की पढ़ाई ठीक नहीं है, इनके कारण विद्यालय ठीक नहीं चल रहा है तब हमें उनका स्थानान्तरण भी करना पड़ता है। इस प्रकार के सारे स्थानांतरण होंगे, हजारों लोगों के स्थानान्तरण होने हैं। पिछली बार बहुत से लोगों के स्थानान्तरण हुए। इनमें से कुछ लोग कैट में गए, हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट ने संदर्भित स्थानान्तरणों में से एक भी स्थानान्तरण निरस्त नहीं किया। हमारी नीति बिल्कुल स्पष्ट है, हम हर चीज पारदर्शी करते हैं। अगर कोई जायज शिकायत है तो किसी भी सम्माननीय सदस्य को मेरे पास या संगठन के पास आने में किसी प्रकार की बाधा नहीं है, कोई अवरोध नहीं है। हमारे सामने तथ्य लाएं, प्रमाण लाएं हम निश्चित रूप से उसकी जांच करेंगे।

श्रीमती जमना देवी बारूपाल: माननीय सभापति जी के द्वारा मैं सम्माननीय जोशी जी की चतुर बुद्धि की प्रशंसा करते हुए सदन से आग्रह करती हूं कि कानून, संविधान के तहत जो एस०सी०/एस०टी० के लोगों को रिजर्वेशन दिया गया है, चाहे वह केन्द्रीय विद्यालय में हो, चाहे देश के किसी भी विश्वविद्यालय में हो, मैंने कुछ दिन पहले एक प्रश्न उठाया था कि हिन्दुस्तान के 265 विश्वविद्यालयों में 75000 पद रिक्त पड़े हैं।

आदरणीय जोशी जी ने मेरे प्रश्न का आज तक उत्तर नहीं दिया। मैंने एक प्रश्न पूछा था कि हमारे भारतवर्ष में कितने केन्द्रीय विद्यालय हैं और हमारे राजस्थान में कितने हैं। हमें बताया गया कि 52 हैं लेकिन जितने इन विद्यालयों में एस०सी०,एस०टी० के अध्यापक होने चाहिये—जब मैंने यह देखा तो पता चला कि उतने नहीं हैं एस०सी० का एक है और एस०टी० का एक है, कुल दो अध्यापक हैं। 16-17 की जो कमी थी, उस कमी को आप कब पूरा करेंगे, कब उन रिक्त

स्थानों को भरेंगे? केवल झूठा झांसा दे देकर के इन लोगों को आपने दूसरे लोगों से भिड़ा दिया, लड़ा दिया और आपस में बैर पैदा कर दिया है कि एस०टी०, एस०सी० के लोग बराबर का मुनाफा उठा रहे हैं, बराबर के पदों पर आसीन हो रहे हैं। मैं आपसे नम्र शब्दों में आग्रह करना चाहूंगी कि ऐसा कानून जो लोगों को भिड़ाने वाला हो, वह कानून मत रखिये। अगर आपको नहीं देना है तो साफ जवाब दे दो कि हम इन लोगों को भर्ती नहीं करेंगे ताकि हम लोग भिखारियों की तरह से आस लगा कर नहीं बैठें। आप तो जवाब भी नहीं देते हैं। यह कितने आश्चर्य की बात है। एक एम०पी० जो चुन कर के आता है, अपने समाज के मुद्दों को यहां रखने के लिए आता है, आप उसको जवाब भी नहीं दें। यह मेरे लिए शर्मनाक बात है।

श्री सभापति: जवाब देंगे।

डा० मुरली मनोहर जोशी: सभापति महोदय, आज तक कोई यह नहीं कह सकता है कि इस सदन में किये गये प्रश्न का मैंने उत्तर नहीं दिया। मैं आपके सामने निवेदन कर रहा हूं। अभी मैंने आंकड़े रखे थे, शायद सम्मानित सदस्य सुन नहीं पाई। मैं फिर से कह देता हूं आप ध्यान दीजिये। कुल 40559 अध्यापक कार्यरत है जिसमें से 11 हजार से अधिक ओ०बी०सी०, एस०सी० और एम०टी० के हैं। इनका क्रमवार विवरण है, 3997 ओ०बी०सी० हैं, 6716 एस०सी० हैं और 1430 एस०टी० हैं। आप देखेंगे कि 40 हजार अध्यापकों में से 8000 से अधिक एस०सी०, एस०टी० हैं और 4000 के लगभग ओ०बी०सी० हैं। अब यह एक खुली परीक्षा के माध्यम से आते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी को अधिकार दे दिया गया कि आप नियुक्त कर दो। इसके लिए सारे देश भर में परीक्षा होती है। उस परीक्षा में जो क्वालीफाई करते हैं और आरक्षण के आधार पर जितनी संख्या होनी चाहिये, वह मौजूद है। अब जो पहले से काम कर रहे हैं, उनको आज हम निकाल नहीं सकते। आरक्षण की संख्या जितनी अनुमोदित है, विधि से, कानून से, उसमें कहीं कोई कमी होगी, उसे पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन यह कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसके आधार पर आप यह कह सकते हैं कि हमारे यहां अन्याय है। 11 हजार लोग 40 हजार में से आरक्षित पदों पर नियुक्त है।....(**व्यवधान**)।

प्रो० राम गोपाल यादव: कितने परसेंट हैं?

डा० मुरली मनोहर जोशी: विभिन्न केटीगरीज में अलग अलग हैं .....(**व्यवधान**)

प्रो० रामगोपाल यादव: वन थर्ड, 30 परसेंट भी नहीं हैं।

डा० मुरली मनोहर जोशी: जो पुराने अध्यापक हैं .....(**व्यवधान**)

प्रो० रामगोपाल यादव: यह संख्या ज्यादा नहीं है यह मत कहिये, थोड़ी बहुत है।

डा० मुरली मनोहर जोशी: थोड़ी बहुत नहीं है। जो पुराने अध्यापक हैं उन्हें हम निकाल नहीं सकते हैं। ..**(व्यवधान)**

प्रो० रामगोपाल यादव: मैं निकालने की बात नहीं कह रहा हूं। ..**(व्यवधान)** जो नई भर्ती हो उसमें तो हो सकता है। ..**(व्यवधान)**

डा० मुरली मनोहर जोशी: नई भर्ती में कोई शिकायत नहीं आई है।

प्रो० रामगोपाल यादव: शिकायत आपके यहां है उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि शिकायत नहीं आई।

डा० मुरली मनोहर जोशी: है नहीं, मुझे दीजिये न। मैं जांच करवा दूंगा।

प्रो० रामगोपाल यादव: अभी इन्होंने कहा कि जिन्होंने कंपलेंट किया उनको आपने ट्रांस्फर कर दिया। फोर्थ क्लास के इम्पलाइज़ को आपने आइज़ोल ट्रांस्फर कर दिया। उसका आपने कोई जवाब नहीं दिया।

डा० मुरली मनोहर जोशी: जी नहीं, मैंने जवाब दिया है। मैं फिर जवाब दे रहा हूं। आप कान खोल कर सुनिये। जो अध्यापक अनियमितता करेंगे, उद्दण्डता करेंगे, कक्षा में नहीं पढ़ायेंगे, उनके स्थानांतरण नियम के अनुसार होंगे, जो काम करेंगे, उनका नहीं होगा।

प्रो० रामगोपाल यादव: चपरासियों को चार-चार राज्य दूर भेज दिया जाएगा, यह कौन सी चीज है?

डा० मुरली मनोहर जोशी: किसी चपरासी को ..**(व्यवधान)** आपके पास शिकायत हो तो लाइये मैं जांच करवा दूंगा।

प्रो० रामगोपाल यादव: अभी आर्य जी ने चार चपरासियों के बारे में कहा है लेकिन आप साइलेंट रहे।..

डा० मुरली मनोहर जोशी: मेरे पास, किसी चपरासी को इस कारण से ट्रांस्फर किया गया है, ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। अगर कोई चपरासी काम नहीं करेगा, नियम और अनुशासन की अवहेलना करेगा तो उसका अवश्य स्थानांतरण होगा। अगर आप यह प्रमाण देंगे कि उसका केवल इस कारण से ट्रांस्फर किया गया है तो मैं जांच करा लूंगा। मैंने यह जवाब दिया है। लेकिन कोई शिकायत नहीं आती है। केवल इसलिए कि वह किसी विशेष जाति का है, इसलिए उसका स्थानांतरण नहीं हो, यह नीति नहीं हो सकती है, कोई सरकार यह नीति नहीं चला सकती।

श्रीमती जमना देवी बारूपाल: आपको निकालना हो तो निकाल दीजिये एस०सी०, एस०टी०

को लेकिन उन पर यह आरोप नहीं लगाइये कि जब कोई बुरा काम करता है तो यही लोग करते हैं। आप बैक-लॉग पूरा करें। हम यह नहीं कहते हैं कि आप पहले वालों को निकाल दो, लेकिन आप उनके ऊपर ब्रेक लगाओ और इनके जो रिक्त पद पड़े हैं उनको पहले भरो।

डा० मुरली मनोहर जोशी: तमाम ऐसे कर्मचारियों के स्थानांतरण हुए हैं, अध्यापकों के स्थानांतरण हुए हैं जो सवर्ण जातियों के कहलाए जाते हैं। उनकी संख्या हजारों में है और उनमें से तमाम लोग कैट में गए हैं, हाई कोर्ट में गए हैं ..**(व्यवधान)** किसी भी संदर्भित केस में न्यायपालिका ने हमारे आदेश को निरस्त नहीं किया है..

श्री आर० एन० आर्य: महोदय...

श्री सभापति: आपका हो चुका है, Nothing is going on record. श्री मीणा।

श्री मूल चन्द मीणा: सभापति महोदय, केन्द्रीय विद्यालय के अध्यापक चाहे दलित वर्ग के हों, चाहे शिड्यूल्ड कास्ट के हों, चाहे शिड्यूल्ड ट्राइब के हों, चाहे पिछड़े वर्ग के हों, आमतौर पर शिकायतें करते रहते हैं। यहां क्वेश्चन के जवाब में मंत्री महोदय ने कहा कि हमने जांच करायी, जांच में शिकायतें सही नहीं पायी गयीं। कई सदस्यों ने यह आरोप भी लगाए कि जांचकर्ता ही उन शिकायतों में इन्वाल्व थे, इसलिए जांच भी सही नहीं हो पायी। शिकायतकर्ता का ट्रांसफर हो जाए, उनको पनिशमेंट दे दिया जाए, सेलरी भी नहीं दें — इस प्रकार की शिकायतें हैं। आपके जवाब से और दूसरे सदस्यों ने जो पूछा उस जवाब से, पूछने के प्रसंग से यह ज्ञात हुआ कि जांच सही नहीं हुई। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि पिछड़े वर्गों की जो शिकायतें आपको प्राप्त हों उनकी जांच के लिए क्या कोई स्पेशल सेल बनाएंगे जिससे उनकी जांच निष्पक्ष हो सके? यही मैं जानना चाहूंगा।

डा० मुरली मनोहर जोशी: सभापति जी, सम्मानित सदन को भी और सम्माननीय सदस्य को भी मैं अवगत कराना चाहता हूं कि इन दोनों वर्गों के लिए हमारे यहां एक सेल बना हुआ है और इनसे पीड़ित यदि कोई व्यक्ति उस सेल के पास जाता है तो जांच उस सेल के द्वारा होती है। यह हमारे पास बराबर आदेश भी हैं और इस मामले में निश्चित रूप से जो आयोग हैं उन आयोगों से हमारा बराबर संबंध रहता है। इस सेल के और उनके अधिकारियों के साथ भी संबंध रहते हैं। इसकी प्रक्रिया है। मुझे यही कहना है कि यदि इस प्रक्रिया के अंदर कोई आता है तो हम उसकी जांच अवश्य कराते हैं। लेकिन सदन में आना एक अलग बात है और हमारे पास नियमित रूप से कोई प्रस्ताव, कोई जांच, कोई शिकायत, कोई प्रमाण, तथ्य देना एक अलग बात है। वह प्रमाण और तथ्य दीजिए। मैंने इस सदन में कहा है, बाहर भी कहा है और मैंने केन्द्रीय विद्यालय के लोगों को भी कहा हुआ है कि जांच के मामले में उच्च स्तर पर जांच कराने की उसमें छूट है। यदि कोई अपील करे तो उसका समाधान करें। लेकिन केवल इसी लिए कि

वह किसी एक जाति विशेष का है और स्थानांतरण हो गया है तो उसे एक जाति मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। इससे न तो विद्यालय ठीक चल पाएगा न शिक्षा ठीक चल पाएगी और छात्रों के अंदर भी दूसरे प्रकार की भावना पैदा होगी। तो कृपा करके इस मामले में यह देखा जाए कि अगर कहीं पर भी हमारा संगठन दोषी है, प्रमाण हमें भेजिए, हम निश्चित रूप से उसका निराकरण करेंगे। हमारी नीति इस मामले में बहुत स्पष्ट है।

श्री रमा शंकर कौशिक: श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने आंकड़े दिए हैं कि इतने ओबीसी हैं, इतने शिड्यूल्ड कास्ट के हैं। यह ठीक है कि इन्होंने आंकड़े दिए हैं। लेकिन प्रतिशत जितना होना चाहिए उतना नहीं है, यह तो माननीय मंत्री जी भी मानते होंगे। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं एक तो यह कि नयी भर्ती में क्या इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि जो हमारा प्रतिशत है वह होना चाहिए और दूसरा जो बैकलाग है उसको पूरा करने के लिए क्या कोई विशेष उपाय मंत्री जी करेंगे?

डा० मुरली मनोहर जोशी: देखिए, जैसे-जैसे लोग सेवा निवृत्त होते है वैसे-वैसे नयी भर्तियां होती हैं और तब नयी भर्तियों में जो आरक्षण के प्रावधान हैं उनका पूरा का पूरा ध्यान रखा जाता है। इसी से आप देखेंगे कि 40 हजार में से 8-9 हजार के लगभग अभी तक परिगणित जाति और जनजाति के लोग आए हैं और लगभग 4 हजार लोग इसमें ओबीसी के आए हैं। अभी जो पदों की संख्या खाली है वह केवल 7-8 सौ है। अब जैसे-जैसे ये नये पद भरे जाएंगे उसमें फिर वही आरक्षण की पद्धति होगी। हमारी ये सारी नीतियां इंटरनेट के ऊपर प्रसारित रहती हैं कि इतने स्थान खाली हैं, इस तारीख को परीक्षा है, इस तारीख को साक्षात्कार है।

श्री रमा शंकर कौशिक: बैकलाग का जवाब नहीं आया।

डा० मुरली मनोहर जोशी: बैकलाग जैसे ही नयी भर्ती होगी तभी तो पूरा होगा।

श्री रमा शंकर कौशिक: नहीं, नयी भर्ती में कैसे पूरा होगा ..(व्यवधान)

प्रो० रामदेव भंडारी: बैकलाग पूरा करने के लिए स्पेशल इक्जामिनेशन कराइए।

डा० मुरली मनोहर जोशी: जैसे हमारे यहां पदों की सृजन संख्या 40 हजार है तो उसको बढ़ाकर मैं 48 हजार नहीं कर सकता हूं। जैसे-जैसे रिटायर होंगे उसी में से तो बैकलाग पूरा होगा। केवल प्रोमोशन के अंदर बैकलाग की बात हो सकती है, परंतु नयी भर्ती के अंदर तो तभी हम भर्ती कर पाएंगे जब पद होंगे। पुराने जो आज से 25-30 साल पहले से काम कर रहे हैं उन्हें तो हम नहीं निकाल सकते हैं। जब नये विद्यालय खोलते हैं तब हम इसका ध्यान रखते हैं या जब सेवा निवृत्त होते हैं तब ध्यान रखते हैं, लेकिन बाकी कैसे कर सकते हैं।

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.